न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0

मि0नं0 10 /अपील (आर0टी0आई)/2022
शाहनवाज खान
बस स्टेण्ड जेल रोड, झालावाड़ (राज0)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील झालरापाटन

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: **निर्णय** ::–

दिनांकः 25.02.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार झालरापाटन से तहसील झालरापाटन के पटवार हल्का झालावाड के खसरा नम्बरान 1119,1093,1094,1095 व 1116 के भूमि धारकों का नाम व इन खसरा नम्बरान की किस्म क्या है? वर्तमान स्थिति में उक्त भूमि की स्थिति क्या है व कब्जाधारी यदि हैं तो किस हेसीयत से काबिज है यदि अतिक्रमी है तो उनके विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाहियों की जानकारी उक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी नक्शा ट्रेस की नकले चाही गई थी जो उनको उपलब्ध नही कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील खानपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खानपुर को नोटिस भिजवाया जाकर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 22.02.2022 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

अपीलार्थी उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार झालरापाटन द्वारा उपस्थित हो पत्रांक 172/रीडर/ 2022 दिनाक 24.02.2022 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी को वांछित खसरा नम्बरान किस्म,वर्तमान स्थिति की सूचना कार्यालय के पत्रांक 22/रीडर/दिनांक 10.01. 2022 से भिजवादी गई थी। अपील खारिज करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रा0पत्र लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर वांछित सूचना अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही होने पर अपील प्रस्तुत की गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पंत्राकः 22/आरटीआई/22 दिनांक 10.01.2022 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना साबित है उनके द्वारा अपीलान्ट को वांछित सूचना तैयार कर उपलब्ध कराई गई है। किन्तु अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही होने पर उनके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। अतः पूर्व में लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराई सूचना को अपीलार्थी को पुनः दिलवाये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार झालरापाटन को निर्देश दिये जाते हैं। लोक सूचना अधिकारी के कथन की तहसील झालरापाटन ऑनलाईन हो चुकी है और सभी प्रकार की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस ऑनलाईन ई मित्र के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं मान्य है, अपीलार्थी उक्तानुसार जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस ऑनलाईन जर्ये ई मित्र प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र हैं। अपीलार्थी द्वारा जो बाकी सूचना चाही गई है इसी कम में स्पष्ट किया जाता है प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। इसी प्रकार माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग का प्रकरण संख्या सी0आई0सी0/ ए0टी0ए0/ 2006/000588 विभोर दिलिप बरला बनाम केन्द्रीय एक्साईज एंव करटमस् नासिक में दिनाक 30.11.2006 को पारित निर्णय अनुसार भी लोक सूचना अधिकारी का यह कार्य नही है कि वह जांच या अनुसंधान प्रारम्भ करें या प्रार्थी के प्रश्नो के सुझावात्मक उत्तर तैयार करें। पी0आई0ओ0 केवल उपलब्ध सूचना को प्रकट करने के लिये बाध्य है। प्रकरण का इसी अनुरूप निस्तारण किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 25.02.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड़
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़
दिनांक

कमांकः 117-19 /रीडर/22
प्रतिलिपिः– 01. प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड़
02.लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार,झालरापाटन
03.शाहनवाज खान,बस स्टेण्ड जेल रोड, झालावाड (राज0)

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड